

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(02)ग्रावि/नरेगा/माद/57526/2015

जयपुर, दिनांक : 29 MAR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त।

विषय:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी मास्टर सर्कुलर 2016-17 के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मास्टर सर्कुलर 2016-17 जारी किया गया है जो कि 01 अप्रैल, 2016 से लागू होगा। सर्कुलर की प्रति योजना की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।

कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुड़े सभी कार्मिकों को अपने स्तर से निर्देश प्रदान करें कि उक्त सर्कुलर का अध्ययन करें ताकि योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से किया जा सके। सर्कुलर में किये गये नये प्रावधान का विवरण संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Dr. Rohit Kumar
28/3/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

७३

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

